कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा

क्रमांक :–
दिनांक :–

श्रीमान् अति0 प्रधान मुख्य,
वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
जयपुर

विषय :– डाईवर्जन ऑफ 205 है. फोरेस्ट लैण्ड फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ गरडदा डेम, इन डिस्ट्रीक्ट बून्दी की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से अन्तिम स्तरीय स्वीकृति दिलाने बाबत्।

प्रसंग :– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8–124/1991 एफ.सी. दिनांक 5.8.09, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. पत्रांक 1767 दिनांक 4.3.09 एवं अधि.अभि. रा.प्र.सा. एवं ज.सा. बांध वृत कोटा के पत्रांक 3971 दिनांक 12.8.09 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गरड़दा मध्यम सिंचाई परियोजना की वन–भूमि की प्रथम स्तरीय स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत–सरकार के पत्र क्रमांक 8–124/91–एफ.सी. दिनांक 7.9.98 से प्राप्त हो गयी थी। प्रथम स्तरीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो एवं एन. पी. वी. की पालना बिन्दुवार कब–कब की गई इसकी विस्तृत पालना विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम स्तरीय स्वीकृति एवं राज्य वन विभाग के डिमाण्ड नोट का क्रमांक/ दिनांक	अधिरोपित तीन शर्तें एवं डिमाण्ड नोट का विवरण	प्रथम स्तरीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना एवम् एन.पी.वी. (N.P.V.) के डिमाण्ड नोट दिनांक 26.11.08 पर की गई पालना का विस्तृत विवरण।
8–124/91/– एफ.सी. दिनांक 7.9.98	(1) Immediate action should be taken for transter and mutation of equivalent non forest land in favour of state forest department.	(1) स्वीकृति की शर्त सं. (1) की पालना में जिला कलेक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक **एफ. 8 – 5 (14) राजस्व / 97/ 1015 –21 दिनांक 31.5. 2000** के द्वारा 100 है. बून्दी तहसील एवं 109.46 है. इन्द्रगढ़ तहसील की भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु आदेशित किया था। जिसकी पालना में क्षैत्रिय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ वन मण्डल बून्दी ने **दिनांक 8.5.2001** को 99.23 है. भूमि का कब्जा ले लिया था एवं क्षैत्रिय वन अधिकारी, रेन्ज

Scanned with CamScanner

		डाबी, बून्दी ने **दिनांक 5.5. 2003** को 100 है. भूमि का कब्जा ले लिया था। श्री रमेश चन्द्र वनपाल ने **दिनांक 11.11.2002** का 10.23 है. भूमि का कब्जा ले लिया था। उपरोक्त हस्तान्तरित भूमि का नामान्तरण भी जंगलात के नाम कर दिया गया है । इस तरह से **205 है.** वन भूमि के एवज में 209.46 है. राजस्व भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी गई थी। अतः शर्त संख्या 1 की पालना सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग द्वारा कर दी गयी है।
	(2) The user agency will transfer the cost of compensatory afforestation over equivalent non-forest land (revised as on date to incorporate existing wage structure in favour of state forest department).	(2) शर्त सं. 2 के सम्बन्ध में वन–मण्डल अधिकारी, बून्दी ने उनके पत्रांक **एफ (–) सर्वे / म. व. अ. /1111 दिनांक 2.2.2002** के द्वारा रू. 36,700/– प्रति हैक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की मांग की थी, जिसकी पालना में इस कार्यालय द्वारा 205 है. वन–भूमि के लिये रू. 75,23,500/– का भुगतान चैक सं. **A/6-329822 दिनांक 22.11.2003** के द्वारा मण्डल वन अधिकारी, बून्दी को कर दिया गया था। अतः शर्त संख्या 2 की पालना सिंचाई/जल संसाधन विभाग द्वारा कर दी गयी है।
	(3) The user agency will hand over the catchment area treatment in favour of forest department.	(3) शर्त सं. 3 के सम्बन्ध में मण्डल वन अधिकारी, बून्दी ने उनके पत्रांक **एफ ( ) सर्वे/म.व.अ./3932 दिनांक 13.4.2004** के द्वारा रू. 6000/– प्रति हैक्टेयर की दर से 475 हैक्टेयर क्षैत्र में मृदा संरक्षण कार्यों के लिये मांग की

Scanned with CamScanner

		थी, जिसकी पालना में इस कार्यालय द्वारा चैक सं. **A/7- 468399 दिनांक 28.9.2004** के द्वारा रू. 28,50,000/– का भुगतान मण्डल वन अधिकारी, बून्दी को कर दिया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत – सरकार की प्रथम स्तरीय स्वीकृति में अधिरोपित तीनों शर्तों की सिंचाई विभाग द्वारा पालना रिपोर्ट मण्डल वन अधिकारी, बून्दी ने उनके पत्रांक **एफ. ( ) सर्वे/म.व.अ./04/11320–22 दिनांक 16.10.2004** के द्वारा वन संरक्षक, पूर्वी वृत कोटा को प्रेषित की थी।
श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी बून्दी के पत्र क्र. 15552 दिनांक 26.11.2008	(i) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) राशि रू. 1283.30 लाख का भुगतान	राज्य सरकार द्वारा एन.पी.वी. राशि रू. 1283.30 लाख स्वीकृत कर पत्रांक प.4 (26) तक/2008 पार्ट दिनांक 9.2. 2009 द्वारा राशि रू. 1283.30 लाख वन विभाग में जमा करावा दी गई है जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 3250–55 दिनांक 12.2.09 द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों की भी दी गयी।
	(ii) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अन्तर राशि रू. 64.37 लाख का भुगतान	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को अन्तर राशि रू. 64.37 लाख का डिमाण्ड ड्राफट केम्पा (CAMPA) खाता संख्या 344901010070128 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के नाम का बनाकर इस कार्यालय के पत्रांक 3273 दिनांक 13.2.2009 से श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी बून्दी के यहां जमा करवा दिया है।

Scanned with CamScanner

प्रथम स्तरीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पालना करने में देरी होने के निम्न मुख्य कारण रहे :–

1. राजस्थान सरकार ने गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना, बून्दी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.8.03 को जारी की थी। अतः शर्त संख्या–2 की पालना दिनांक 30.8.2003 के बाद में ही हो पाना संभव थी। उक्त शर्त की पालना दिनांक 22.11.2003 को हो सकी।
2. परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त ही जल संग्रहण क्षैत्र में मृदा संरक्षण एवं उपचार हेतु तखमीना तैयार किया गया। शर्त संख्या–3 की पालना भी दिनांक 30.8.2003 के पश्चात ही संभव हो सकी। अतः उक्त शर्त की पालना दिनांक 28.9.2004 को हो सकी।
3. चूकिं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से उक्त परियोजना की प्रथम स्तरीय स्वीकृति में एवं परियोजना के मूल स्वीकृत प्रशासनिक तखमीने में एन.पी.वी. का प्रावधान सम्मिलित नहीं था इसलिए एन.पी.वी. राशि को परियोजना में सम्मिलित कराने एवं एन.पी.वी. की भारी राशि (रू. 1283.30 लाख) जमा कराने हेतु बजट उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कई बार उच्च स्तरीय मिटिंग का आयोजन किया गया जो अन्ततः दिनांक 09.2.2009 को राज्य सरकार से एन.पी.वी. राशि जमा कराने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि प्रथम स्तरीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं एन.पी.वी. राशि की पालना में देरी मूलतः परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के देरी से जारी होने एवं मूल प्रशासनिक तकमीने में एन.पी.वी. राशि सम्मिलित नहीं होने से एन.पी.वी. का प्रावधान स्वीकृत कराने एवं एन.पी.वी. राशि (रू. 1283.30 लाख) राज्य वित्त विभाग से स्वीकृत कराने में लगे समय के कारण हुई जो कि एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो अपरिहार्य था।

अतः आपसे अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर अपनी अनुशंसा करते हुऐ प्रकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवा कर शीघ्र अन्तिम स्तरीय स्वीकृति दिलवाने की कृपा करावें।

संलग्न :– 1. पत्र दिनांक 30.8.2003
2. पत्र दिनांक 2.2.2009

4-3-09
20-2-09

–sd–
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन संभाग कोटा

क्रमांक :– 10708-14 दिनांक :– 12/8/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है –

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी।
4. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, नोडल अधिकारी, जल संसाधन, कोटा वृत, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, रा.प्र.सा. एवं ज.सा. बांध वृत कोटा।
7. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, ज.स. परि. खण्ड बून्दी।

Tech S.

O/o The E.E. Water Resources Project Div., BUNDI
No. 1057 Date 13/8/09
EE /TA /DAO/QA /R. Clerk

मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन संभाग कोटा

Scanned with CamScanner